संख्या-4/2019/1658/31-2019-21/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
2. नागरिक उड्डयन
3. नगर विकास
4. पर्यटन
5. आवास एवं शहरी नियोजन
6. चिकित्सा शिक्षा
7. गृह
8. उच्च शिक्षा
9. आयुष
10. खेल
11. पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2019

विषयः- शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के नियमित रूप से अनुश्रवण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के साथ संलग्न सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार 05 सदस्यीय प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप का गठन किया गया हैः-

1. अध्यक्ष	**मुख्य सचिव**
2. सदस्य	**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त** (उनसे सम्बन्धित समूहों हेतु)
3. सदस्य	**अपर मुख्य सचिव, नियोजन**
4. सदस्य	**अपर मुख्य सचिव, वित्त**
5. सदस्य/संयोजक	**प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री**

2- शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु परियोजनाओं को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक समूह की बैठक संलग्नक के कॉलम 5 में अंकित दिन एवं समय पर परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु गठित प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठकें ग्रुप के अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में आयोजित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाएंगी। बैठक में परियोजनाओं की सघन समीक्षा की जाएगी तथा अद्यतन प्रगति से प्रत्येक माह मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा।

3- परियोजना से सम्बन्धित नोडल विभाग अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं का लक्ष्य/माईलस्टोन एवं उनकी पूर्ति हेतु समय-सारणी निर्धारित करते हुए गहन अनुश्रवण कर संलग्नक के अनुसार प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठकों में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति आगामी बैठक में ज्ञात की जाएगी।

4- यदि किसी परियोजना में एक अथवा एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं, तो परियोजना से सम्बन्धित नोडल विभाग द्वारा अपने स्तर से अन्य सम्बन्धित विभागों को बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करने हेतु सूचित किया जाएगा।

5- संलग्नक में चिन्हित परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं को समय-समय पर समीक्षा हेतु सम्मिलित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को पृथक् से अवगत कराया जाएगा।

6- नोडल विभाग से अपेक्षा है कि परियोजना/परियोजनाओं का गहन अनुश्रवण करते हुए परियोजना की प्रगति ग्रुप की बैठक के न्यूनतम दो दिन पूर्व सदस्य/संयोजक को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी प्रति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-4/2019/1658/(1)/31-2019-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2019/1658/(2)/31-2019-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप द्वारा अनुश्रवण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता की परियोजनाएं

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	नोडल विभाग	समूह	प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक का दिन/समय
1	2	3	4	5
1	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे	यूपिडा	समूह-1	प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार (अपरान्ह 04:00-06:00)
2	पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे	यूपिडा		
3	गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस- वे	यूपिडा		
4	गंगा एक्सप्रेस-वे	यूपिडा		
5	डिफेन्स कारिडोर	अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास		
6	जेवर इन्टरनेशनल एअरपोर्ट	नागरिक उड्डयन		
7	Investor's Summit के दौरान किये गये MOU's के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	समूह-2	प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार (अपरान्ह 04:00-06:00)
8	ट्रांस गंगा परियोजना का विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास		
9	औरैया प्लास्टिक सिटी का विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास		
10	सरस्वती हाईटेक सिटी का विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास		
11	दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारिडोर	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास		
12	अमृतसर-दिल्ली-कोलकत्ता इन्डस्ट्रियल कारिडोर	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास		
13	स्मार्ट सिटी योजना	नगर विकास	समूह-3	प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार (अपरान्ह 04:00-06:00)
14	अमृत योजना	नगर विकास		
15	नमामि गंगे योजना	नगर विकास/ पंचायतीराज		
16	वाराणसी, मथुरा एवं अयोध्या में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास	पर्यटन		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasana esh.up.nic.in

17	श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर कारिडोर का विकास	पर्यटन		
18	मेट्रो परियोजना (कानपुर, आगरा, मेरठ,प्रयागराज, गोरखपुर एवं बरेली)	आवास एवं शहरी नियोजन		
19	नए मेडिकल कालेजों की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा	समूह-4	प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार (अपरान्ह 04:00-06:00)
20	रायबरेली एवं गोरखपुर में AIIMS की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा		
21	चकगंजरिया लखनऊ में श्री अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा		
22	पुलिस एवं फोरेन्सिक साइन्स विश्वविद्यालय की स्थापना	गृह		
23	आजमगढ़, अलीगढ़ एवं सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना	उच्च शिक्षा		
24	आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	आयुष		
25	स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना	खेल		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।